

DIRECTORATE OF HIGHER EDUCATION

Himachal Pradesh, Shimla – 171001.

Press Release 2015-16

Online Scholarship Applications are invited in r/o the following Centrally Sponsored Scholarship Schemes, being run by the Education Department in Himachal Pradesh, for the year 2015-16, through the Online Scholarship Management System (OSMS), through the URL / Website <http://www.momascholarship.gov.in> as per the schedule provided below:

1. Merit-cum-Means Scholarship Scheme for Students belonging to the Minority Community (Centrally Sponsored Scheme):-

This Scholarship is given to pursue *Degree / Post-graduate level Technical Professional Courses from Recognized Institutions*, to the students belonging to the *Minority Groups (Muslim – 37, Sikh – 22, Christian – 2, Budhhist – 24, Total = 85 Students)*. The *annual income of the parent or guardian of the beneficiary should not exceed ₹ 2.50 Lacs*, from all sources and the student should not have secured less than 50% marks or equivalent grade in the previous final examination.

Schedule for the Online Submission of Fresh & Renewal Scholarship Applications Forms (Merit-cum means Minority Scholarship):

Sr.No.	Activities	Date (Fresh)	Date (Renewal)
1.	Submission of Online Applications for Fresh/Renewal Scholarship by Students.	01 th June to 30 th September, 2015	01 th June to 15 th November, 2015
2.	Scrutiny of Online Application by Institute.	01 th June to 20 th October, 2015	01 th June to 25 th November, 2015
3.	Scrutiny of Online Application by State/UT Administration.	01 th June to 31 st October, 2015	01 th June to 5 th December, 2015
4.	Generation of Merit list and submission of Fresh/Renewal proposals by State/UT Administration.	01 th November to 05 th November, 2015	01 th June to 7 th December, 2015

2. Post-Matric Scholarship Scheme for students belonging to the Minority Community (Centrally Sponsored Scheme):-

This Scholarship will be given from *XI to Ph.D. Level in Govt. / Recognized Private Schools / Colleges / Institutes, including Technical/Vocational Courses*, to the students belonging to the *Minority Groups (Muslim – 309, Sikh – 187, Christian – 20, Budhhist – 196, Parsi – 2, Jain-4, Total = 718=Students)*. The *annual income of the parent or guardian of the beneficiary should not exceed ₹2.00 Lacs*, from all sources and the student should not have secured less than 50% marks or equivalent grade in the previous final examination. Student must have passed the examination from Govt. / Govt. Aided institutions.

Schedule for the Online Submission of Fresh & Renewal Scholarship Applications Forms (Post-Matric Minority Scholarship):

Sr.N.	Activities	Date (Fresh)	Date (Renewal)
1.	Submission of Online Applications for Fresh/Renewal Scholarship by Students.	01 th June to 15 th September, 2015	01 th June to 10 th October, 2015
2.	Scrutiny of Online Application by Institute.	01 th June to 05 th October, 2015	01 th June to 31 st October, 2015
3.	Scrutiny of Online Application by State/UT Administration.	01 th July to 15 st October, 2015	01 th July to 08 th November, 2015

4.	Generation of Merit list and submission of Fresh/Renewal proposals by State/UT Administration.	16 th October to 18 th October, 2015	01 th July to 11 th November, 2015
----	--	--	--

NOTES:

1. Only Online applications under these Scholarship Schemes will be accepted and no request for accepting Offline applications will be entertained.
2. Only the students, who were awarded Scholarship under this scheme during 2014-15, can apply for renewal of Scholarship in 2015-16.
3. Applicants are advised to take a print-out of the duly filled-in application forms, after submitting it Online through OSMS, and to send it along with all supporting documents through their respective institutes to this Directorate. Without the receipt of hard copy in this Directorate, the application shall be liable to be rejected.
4. Applicants are advised to enter proper AADHAAR & Bank Details (Bank & Branch Name, Account No. & IFS Codes), while filling the Online Application Forms, failing which their Scholarship amounts may not be credited into their Bank Accounts.
5. Uploading of documents by students are made mandatory for Fresh and Renewal cases under Merit-cum-Means based Scholarship Scheme (MCM). Scrutiny of online applications on the basis of the uploaded documents will be done by the respective Universities/Colleges/Institutions.
6. Uploading of mandatory for Renewal cases while for Fresh cases hardcopies of documents will be submitted by the students to the respective Universities/Colleges/Institutions. Scrutiny of the online applications in case Renewal may be done on the basis of uploaded documents ; while in case of Fresh cases Scrutiny may be done on the basis of submitted hardcopies under the Post Matric Minority Scheme.

For detailed information & conditions related to the above Centrally Scholarship Schemes, being implemented by the Education Department, logon to the Scholarship Related e-Pass website <http://hpepass.cgg.gov.in> or the Departmental website <http://www.educationhp.org> & Telephone No. 0177-2653120 & 2653575.



D. B.
(Dinkar Burathoki)
Director of Higher Education
Himachal Pradesh.

Dated: May, 2015

Endst. No. EDN-H(10)A(7)2/2009-Advertisements- Shimla,
Copy to:

1. The Director, All India Radio Centre, Shimla.
2. The Director, Doordarshan Centre, Shimla.
- ✓ 3. The Editor, The Tribune Newspaper, Shimla.
- ✓ 4. The Editor, The Indian Express Newspaper, Shimla.
- ✓ 5. The Editor, The Times of India Newspaper, Shimla.
- ✓ 6. The Editor, Hindustan Times Newspaper, Shimla.
7. The T.O., IT Cell, DHE HP, with the request to upload the above Press Release on to the Departmental Website.

o/c

D. B.
(Dinkar Burathoki)
Director of Higher Education
Himachal Pradesh.

प्रेस विज्ञापित 2015-16

उच्चतर शिक्षा निदेशालय द्वारा वर्ष 2015-16 में निम्नलिखित केन्द्रीय प्रायोजित छात्रवृत्ति योजनाएँ सन्चालित की जानी हैं, जिस के लिए पात्र छात्र/छात्राओं से www.momascholarship.gov.in वेबसाईट पर, छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र, निर्धारित सारणी अनुसार, आमन्त्रित किए जा रहे हैं: -

1. अल्प सख्यक वर्ग के लिए मैरिट-कम-मीन्ज़ छात्रवृत्ति योजना:-

यह छात्रवृत्ति हिमाचल प्रदेश के स्थाई निवासी अल्प सख्यक समुदाय (मुस्लिम - 37, सिक्ख - 22, ईसाई - 02, बौद्ध - 24, कुल = 85)के उन छात्र/छात्राओं को देय होगी, जिनके माता-पिता की वार्षिक आय ₹2,50,000/- से अधिक न हो व पिछली उर्तीण की गई परीक्षा में 50 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किये हों। तकनिकी तथा व्यवसायिक मान्यता प्राप्त संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे पात्र छात्र/छात्रा को यह छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।

नवीन/नवीनीकरण हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र जमा करवाने की सारणी निम्न प्रकार दर्शाई गई है (मैरिट-कम-मीन्ज़): -

क्र० सं०	कार्यकलाप	तिथि (नवीन)	तिथि (नवीनीकरण)
1.	छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाईन नवीन/नवीनीकरण आवेदन पत्र को विधिवत भरने की तिथि।	01 जून से 30 सितम्बर 2015	01 जून से 15 नवम्बर 2015
2.	सम्बन्धित संस्थानों द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्रों की जांच करने की तिथि।	01 जून से 20 अक्टूबर 2015	01 जून से 25 नवम्बर 2015
3.	राज्य प्रशासन द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्रों की जांच करने की तिथि।	01 जून से 31 अक्टूबर 2015	01 जून से 05 दिसम्बर 2015
4.	वरियता सूचि को जारी करने एवं राज्य प्रशासन से प्राप्त नवीन/नवीनीकरण प्रस्ताव को पेश करने की तिथि।	01 नवम्बर से 05 नवम्बर 2015	01 जून से 07 दिसम्बर 2015

2. अल्प सख्यक वर्ग के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना :-

यह छात्रवृत्ति हिमाचल प्रदेश के स्थाई निवासी अल्प सख्यक समुदाय (मुस्लिम - 309, सिक्ख - 187, ईसाई - 20, बौद्ध - 196, पारसी - 2, जैन-4, कुल = 718)के उन छात्र/छात्राओं को देय होगी, जिनके माता-पिता की वार्षिक आय ₹2,00,000/- से अधिक न हो व पिछली उर्तीण की गई परीक्षा में 50 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किये हों। छात्र/छात्रा सरकारी/गैर सरकारी/वरि० मा० पाठशाला/महाविद्यालय/विश्व विद्यालय/सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से 11वीं से पी०एच०डी० कोर्स तक की शिक्षा प्राप्त कर रहे हों या तकनिकी तथा व्यवसायिक कोर्स, जो कि एन.सी.वी.टी. से मान्यता प्राप्त हो, कर रहे हों।

नवीन/नवीनीकरण हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र जमा करवाने की सारणी निम्न प्रकार दर्शाई गई है (मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति): -


क्र० सं०	कार्य	तिथि (नवीन)	तिथि (नवीनीकरण)
1.	छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाईन नवीन/नवीनीकरण आवेदन पत्र को विधिवत भरने की तिथि।	01 जून से 30 सितम्बर 2015	01 जून से 15 नवम्बर 2015
2.	सम्बन्धित संस्थानों द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्रों की जांच करने की तिथि।	01 जून से 20 अक्टूबर 2015	01 जून से 25 नवम्बर 2015
3.	राज्य प्रशासन द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्रों की जांच करने की तिथि	01 जून से 31 अक्टूबर 2015	01 जून से 05 दिसम्बर 2015
4.	वरियता सूचि को जारी करने एवं राज्य प्रशासन से प्राप्त नवीन/नवीनीकरण प्रस्ताव को पेश करने की तिथि	01 नवम्बर से 05 नवम्बर 2015	01 जून से 07 दिसम्बर 2015

टिप्पणीयां :-

- इन छात्रवृत्ति योजनाओं के अर्न्तगत केवल ऑनलाईन आवेदन ही मान्य होंगे। ऑफलाईन आवेदन करने हेतु कोई भी निवेदन स्वीकार्य नहीं होगा।
- केवल उन आवेदकों के छात्रवृत्ति आवेदन पत्र 2015-16 में नवीनीकरण हेतु स्वीकार किए जाएंगे, जिन्हें 2014-15 में इन योजनाओं के अर्न्तगत छात्रवृत्ति राशि आवंटित की गई है।

3. आवेदकों को परामर्श दिया जाता है कि वे ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के उपरान्त ऑनलाईन आवेदन पत्र की मुद्रित प्रति प्राप्त कर, उसे सम्बन्धित संस्थान के माध्यम से, सभी आवश्यक दस्तावेजों सहित, इस निदेशालय में जमा करवायें। ऑनलाईन आवेदन पत्र की मुद्रित प्रति इस निदेशालय में प्राप्त न होने की स्थिति में आवेदन अस्वीकार्य होगा।
4. आवेदकों को परामर्श दिया जाता है कि वे ऑनलाईन आवेदन पत्र भरते समय सही **AADHAAR** सूचना (UID / EID) और बैंक सम्बन्धित सूचना (बैंक और शाखा का नाम, खाता संख्या और IFS कोड) उपलब्ध करवायें, अन्यथा वे छात्रवृत्ति राशि से वंचित रह सकते हैं।
5. छात्र/छात्राओं द्वारा मैरिट-कम-मीन्ज अल्प संख्यक छात्रवृत्ति योजना के अर्न्तगत नवीन/नवीनीकरण आवेदन पत्र के साथ दस्जावेजों को अपलोड करना अनिवार्य है। सभी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थानों से अनुरोध है कि वह छात्र/छात्राओं के ऑनलाईन भरे गए आवेदन पत्रों के दस्जावेजों की जांच सही रूप से करें। यदि संस्थान व छात्र/छात्राएँ अपने दस्जावेजों को ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ अपलोड नहीं करते हैं तो आवेदन पत्र रद्द हो जाएगा। जिसके लिए संस्थान व छात्र/छात्राएँ स्वयं जिम्मेवार होंगे। सभी संस्थानों द्वारा ऑनलाईन भरे गये सभी आवेदन पत्रों की सूची सत्यापित करने के उपरान्त शिक्षा निदेशालय में जमा करवाना अनिवार्य है।
6. छात्र/छात्राओं द्वारा मैट्रिकोत्तर अल्प संख्यक छात्रवृत्ति योजना नवीनीकरण आवेदन पत्र के साथ दस्जावेजों को अपलोड करना तथा नवीन आवेदन पत्रों के साथ आवश्यक दस्जावेज सम्बन्धित संस्थान में जमा करवाना अनिवार्य है। सभी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/विद्यालय/संस्थानों से अनुरोध है कि वह छात्र/छात्राओं के ऑनलाईन भरे गए नवीनीकरण आवेदन पत्र की अपलोड किए गए दस्जावेजों की जांच सही रूप से करें तथा मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के अर्न्तगत नवीन भरे गये आवेदन पत्रों व जमा किये गये दस्जावेजों की सही रूप से जांच करने के उपरान्त शिक्षा निदेशालय में जमा करवाएं। सभी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/विद्यालय/संस्थानों द्वारा ऑनलाईन भरे गये सभी आवेदन पत्रों की सूची सत्यापित करने के उपरान्त शिक्षा निदेशालय में जमा करवाना अनिवार्य है।

उपरोक्त केन्द्रीय प्रायोजित छात्रवृत्ति योजनाओं से सम्बन्धित अधिक जानकारी के लिए छात्रवृत्ति से सम्बन्धित, ई-पास वेबसाईट <http://hpepass.cgg.gov.in> या इस निदेशालय की वेबसाईट www.educationhp.org पर लॉगऑन करें तथा दूरभाष नं० 0177-2653120 व 2653575 से संपर्क करें।




(दिनकर बुड़ाथोकी)
शिक्षा निदेशक (उच्चतर)
हिमाचल प्रदेश।

पृष्ठांकन सं० ई.डी.एन -एच (10)ए(7)2/2009-प्रेस विज्ञप्ति
प्रतिलिपियां : -

दिनांक: 13 मई, 2015

1. निदेशक, आकाशवाणी केन्द्र, शिमला।
2. निदेशक, दूरदर्शन केन्द्र, शिमला।
3. सम्पादक, दैनिक भास्कर समाचार पत्र, शिमला।
4. सम्पादक, अमर उजाला समाचार पत्र, शिमला।
5. सम्पादक, आपका फैसला समाचार पत्र, शिमला।
6. सम्पादक, पंजाब केसरी समाचार पत्र, शिमला।
7. सम्पादक, दैनिक जागरण समाचार पत्र, शिमला।
8. सम्पादक, दिव्य हिमाचल समाचार पत्र, शिमला।
9. सम्पादक, हिमाचल दस्तक समाचार पत्र, शिमला।
10. तकनीकी अधिकारी, आई.टी. सैल से अनुरोध है कि, उक्त प्रैस विज्ञप्ति को विभाग की वेबसाईट पर अंकित करने की कृपा करें।



(दिनकर बुड़ाथोकी)
शिक्षा निदेशक (उच्चतर)
हिमाचल प्रदेश।